अनुसूची 21—फारम सं० 11 12-7278

6892

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या Greater Patna Home Developers Pvt LTD. 14993 19 11-12-18

चूंकि श्री Md. Jawaid Alam

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहारों और अवभारों का संनिरीक्षण प्रमाण-पत्र दिया जाए (संनिरीक्षण में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति का प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही में और उससे सम्बद्ध अनुलग्नकों में दर्ज 1-1-05 19 से आगे तक 19 As Per Index II एक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला

पता है अतः संपत्ति संबंधी अवभार से मुक्त है।

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के [illegible]		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza — 6 Gyaspur Plot No — 98, 105, 101, 99, 100 Khata No — 42, 41, 43, 39, 37. Thana No — 23. Plot Area — 33 1/2 Kathia.							

Sub Registry Office, Danapur

Receipt for search, inspection and copy

Md. Jawaid Alam

Misc token no. Serial no. 14993

Year Date 11-12-18

Received from

following fees:

F (i)- 0 F (iii)- 0 G- 0

F (ii)- 0 F (iv)- 0 G(a)- 0

Total- 0 300

Registering Officer

1. तलासने के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. आवेदक पत्र की दिनांक व्याज की दर और भुगतान की अवधि।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलास

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): U.D.C.

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): Shailendra

(पदनाम): U.D.C.

कार्यालय: Danapur

तारीख: 12-12-18

दानापुर (पटना) 18

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:–इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति (पार्टियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढ़े गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, किसी निबंधक दानापुर

ज्ञाप संख्या 6857 दिनांक 13/12/18

आवेदक श्री Md. Jawaid Alam

का अवभार प्रमाण-पत्र द्वारा

AXIS Bank (RAC) Patna

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

SFL-469/9-2,00,000